Title: Need to increase the monetary limit of wages to labour class under Minimum wages Act in Andaman & Nicobar Islands.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे माफी मांगता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बोलिए।

श्री विष्णु पद राय : मैडम, 1948 में भारत सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया था, उसके सैक्शन फोर के मुताबिक यह कहा गया था कि जब-जब सामान का दाम बढ़ेगा, प्राइस इन्क्रीस होगा, इन्फलेशन होगा, उस तरह से उन्हें बढ़ोत्तरी मिलेगी। उसी मुताबिक 1988 में लेबर मिनिस्ट्री कांफ्रेंस में इन्फ्लेशन के ऊपर यह फैसला हुआ था कि सामान का दाम बढ़ने पर उसे साल में दो बार प्राइस इंडेक्स के माध्यम से, उसकी मजदूरी बढ़ाई जाएगी। इसे देखते हुए 36 राज्यों में, खास करके यूनियन टेरेटरीस, लक्ष्यद्वीप, पांडीचेरी, गोवा, दिल्ली तथा बाकी राज्यों में भी उस तरह से साल में दो बार जब सामान का दाम बढ़ता है तो उन्हें भी उसके मुताबिक मिलता है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को साल में दो बार डीए मिलता है, उसी तरह मजदूर के लिए भी ऐसा किया गया था। लेकिन दुख की बात है कि अंडेमान और निकोबार द्वीपसमूह में सरकार का यह निर्देश संविधान के मुताबिक एक्ट या लेबर मिनिस्ट्री कांफ्रेंस का डायरेक्शन वहां माना नहीं जाता।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि अंडेमान और निकोबार द्वीपसमूह में भी, जैसे आपने बाकी राज्यों में किया, लेबर मिनिस्ट्री कांफ्रेंस को डायरेक्शन दिया गया, उसी मुताबिक अंडेमान-निकोबार द्वीपसमूह में मिनिमम वेजेस में वेरिएबल डीए साल में दो बार वहां के मजदूरो को मिले, इस मांग के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया: श्री विश्व मोहन कुमार - अनुपस्थित।